जीवन कृष्ण मंडल और अन्य

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 6373/2010)

10 मार्च, 2015

[न्यायाधिपति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और न्यायाधिपति विक्रमजीत सेन]

सेवा कानून - नियमितीकरण - पश्चिम बंगाल होम गार्ड के सदस्य - सेवा का नियमितीकरण - पात्रता - होम गार्ड की दलील कि वे राज्य की सेवाओं में थे और पुलिस कांस्टेबलों की तरह ही कर्तव्य निभा रहे थे, जो सरकारी कर्मचारी हैं, इस प्रकार, अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के हकदार हैं। और पुलिस कर्मियों के बराबर नियमित वेतन दिया गया: होम गार्ड की उत्पत्ति और इसकी भूमिका से पता चलता है कि होम गार्ड संगठन हमेशा स्वैच्छिक था और इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल थे - तथ्यों पर, अधिकांश दावेदारों ने अधिकतम आयु प्राप्त कर ली है होम गार्ड के अब कोई सदस्य नहीं - अन्य दावेदारों द्वारा नियुक्ति पत्र यह नहीं दर्शाते कि वे पूरे वर्ष ड्यूटी कर रहे थे - कोई मालिक-नौकर संबंध नहीं था - उन्हें 1962 के नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाएं स्वैच्छिक थीं और उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर्तव्य भत्ता - इस प्रकार, दावेदार सेवा के नियमितीकरण के हकदार नहीं हैं - कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, जवाबदेही और स्थिति की किसी भी तुलना के अभाव में, उन्हें उनके भुगतानकर्ता वेतनमान के साथ समानता का दावा करने के लिए पुलिस कर्मियों के बराबर नहीं किया जा सकता है - पश्चिम बंगाल होम गार्ड अधिनियम, 1962 – धारा 5, 7 और 9 - पश्चिम बंगाल होम गार्ड नियम, 1962 – आरआर 3, 4, 7, 8।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1.1 पश्चिम बंगाल होम गार्ड नियम, 1962 को पढ़ने से यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल होम गार्ड को नियमों की अनुसूची में निर्धारित फॉर्म के अनुसार होम गार्ड के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। होम गार्ड सामान्यतः स्वयंसेवक और अवैतनिक होंगे। लेकिन राज्य सरकार ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर होम गार्ड के सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते का निर्धारण कर सकती है। होम गार्ड के सदस्यों के लिए कोई निश्चित ड्यूटी नहीं है। जब उन्हें ड्यूटी के लिए बेंत से पीटा जाएगा, तो वे अपराध और अव्यवस्था की ताकतों के खिलाफ नागरिक आबादी की सुरक्षा में पुलिस बल की सहायता करेंगे। उन्हें नागरिक सुरक्षा संगठन के साथ निकट संपर्क में काम करना होगा और व्यक्तियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करना होगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित कर सकती है। इसलिए, यदि पश्चिम बंगाल होम गार्ड अधिनियम, 1962 को पश्चिम बंगाल होम गार्ड नियम, 1962 के साथ पढ़ने पर, यह पाया गया है कि होम गार्ड के सदस्य आमतौर पर अवैतनिक स्वयंसेवक होते हैं, जिनके लिए राज्य सरकार ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर वेतन और भत्ते का निर्धारण करेगी। [पैरा 14] [789-एच; 790-ए-ई]

1.2 होम गाड्र्स संगठन का स्वैच्छिक चरित्र 1962 के अधिनियम में "सदस्यों के रूप में नियुक्ति" शब्द के उपयोग के कारण स्पष्ट नहीं था, हालांकि यह 1962 के नियमों से स्पष्ट था। उक्त कारणों से, राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल होम गाड्र्स (संशोधन) अधिनियम, 1990 जारी किया। 1990 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से, एक स्वैच्छिक होम गार्डसंगठन बनाने का विधानमंडल का इरादा स्पष्ट हो जाता है। [पैरा 15 और 16] [790-ई-एफ; 792-एच बी]

1.3 होम गार्ड की उत्पत्ति और उसकी भूमिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि संगठन हमेशा स्वैच्छिक था और इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल थे। वास्तव में सरकारी कर्मचारियों को भी जरूरत पड़ने पर बुलाए जाने के लिए होम गार्ड में नामांकित किया गया था। बड़ी संख्या में राज्य अधिनियम अर्थात् आंध्र प्रदेश होम गार्ड अधिनियम, 1948, बॉम्बे होम गार्ड अधिनियम, 1947, असम होम गार्ड अधिनियम, 1947, मणिपुर होम गार्ड अधिनियम, 1966, मध्य प्रदेश होम गार्ड अधिनियम, 1947, पंजाब होम गार्ड अधिनियम, 1947, राजस्थान होम गार्ड अधिनियम, 1963 आदि यह स्पष्ट करते हैं कि इन सभी अधिनियमों के प्रावधान कमोबेश एक जैसे हैं। स्वैच्छिक प्रकृति होम गार्ड की एक बुनियादी विशेषता है। [पैरा 19] [793-बी-डी]

1.4 अपीलकर्ताओं में से अधिकांश ने अधिकतम आयु प्राप्त कर ली है और वे अब होम गार्ड के सदस्य नहीं हैं। अपीलकर्ताओं की शेष श्रेणी द्वारा संलग्न नियुक्ति पत्रों से यह नहीं पता चलता है कि वे किसी भी सरकारी कर्मचारी की तरह पूरे वर्ष ड्यूटी कर रहे हैं। स्वामी-सेवक संबंध का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। उन्हें होम गार्ड नियम, 1962 के अनुसार नियुक्त किया गया था और यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी सेवाएं स्वैच्छिक हैं और उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर्तव्य भत्ता मिलेगा। अतः अपीलकर्ता इसके हकदार नहीं हैं सेवा का नियमितीकरण. इसके अलावा, कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, जवाबदेही और स्थिति की किसी भी तुलना के अभाव में, पुलिस कर्मियों को प्रदान किए गए वेतन या वेतनमान के साथ समानता का दावा करने के लिए उन्हें पुलिस कांस्टेबलों या कर्मियों के बराबर नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने उनकी सेवाओं को नियमित करने से इनकार कर दिया। [पैरा 20] [793-ई-एच]

बलवंत राय सलूजा बनाम एयरइंडिया लिमिटेड (2014) 9 एससीसी 407; राजेश मिश्रा बनाम एनसीटीऑफ़ दिल्ली सरकार 98 (2002) डीएलटी624; स्टेटऑफ़मणिपुर और अन्य बनाम क्ष मोइरांगनिंथौ सिंह और अन्य 2007 (3) एससीआर 193:(2007) 10 एससीसी 544- का उल्लेख है।

वाद कानून संदर्भित

(2014)9 एस सी सी 407	संदर्भित	पैरा 7
(2002)डी एल टी 624	संदर्भित	पैरा 17
2007(3)एस सी आर 193	संदर्भित	पैरा 18

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 6373/2010

2005 की रिट याचिका संख्या 18237(डब्लू) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 31.01.2008 से

के साथ

सी. ए. संख्या 6374, 6375/2010 , 55,56,57,58,59,60 और 61/2015

सुशील कुमार जैन, विजय हंसारिया, संजीव सेन, शेखर कुमार, रउफ रहीम, एस के वर्मा, अजय वीर सिंह जैन, पुनीत जैन अतुल अतुल अग्रवाल, दिव्या गर्ग, यू. आर. बोकाडिया, अजित जैन, अजय कुमार जैन, मोहम्मद इरशाद हनीफ, बीके गुप्ता, एसके गुप्ता, एमके सिंह, बी. पी. गुप्ता, देबाश्री,सैकिया, अवनीश पांडे, घनश्याम जोशी, एफ. आई. चौधरी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, पी. के. डे, आंदलीब नकवी, अभिजीत सिंह,विजय पाल सिंह, डॉ. कैलाश चंदअपीलार्थी के लिए ।

मुकुल रोहतगी, ए जी गुरुकृष्ण कुमार, अनिप सच्थेय , मोहित पॉल साकार समाना, श्रीकांत एन. तेरदल, अविजीत भट्टाचार्जी, वी.मोहना, साधना संधू, कबीर हाथी, आर. के. वर्मा, सुषमा सूरी उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय: ये अपीलें अपीलकर्ताओं द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2002 के एफएमए संख्या 588 आदि में 31 जनवरी, 2008 के डब्ल्यूपीएनओ 14779 (डब्ल्यू) आदि में 23 जुलाई, 2008 के डब्लूपीएनओ 14779 (डब्ल्यू) आदि में और 2006 के एमएटी संख्या 4609 में पारित निर्णयों और आदेशों के खिलाफ दायर की गई हैं। दिनांक 26 नवंबर 2008। दिनांक 31 जनवरी, 2008 के विवादित फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 1995 के सीओ नंबर 21365 (डब्ल्यू) में 21 मई, 1999 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया। -होम गार्ड और उनके एसोसिएशन के सदस्य तदनुसार। 23 जुलाई, 2008 और 26 नवंबर, 2008 के आक्षेपित आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच ने क्रमशः अपीलकर्ताओं-होम गार्डों द्वारा पसंद की गई रिट याचिकाओं और राज्य द्वारा पसंद की गई अपीलों का निपटान डिवीजन बेंच एफएमए नंबर 588 /2002 द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए किया।

2. इन अपीलों में शामिल एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता और पश्चिम बंगाल होम गार्ड के अन्य सदस्य राज्य की सेवाओं में हैं और क्या वे अपनी सेवाओं के नियमितीकरण या किसी अन्य राहत के हकदार हैं।

3. अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि पश्चिम बंगाल होम गार्ड के सदस्य राज्य की सेवाओं में पुलिस कांस्टेबलों के समान कर्तव्य निभा रहे हैं जो

सरकारी कर्मचारी हैं। वे अपनी सेवाओं के नियमितीकरण और पुलिस कर्मियों के समान नियमित वेतन के भी हकदार हैं।

4. अपीलकर्ताओं द्वारा की गई उपरोक्त याचिका का पश्चिम बंगाल राज्य और भारत संघ द्वारा विरोध किया गया। उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल होम गार्ड के सदस्य स्वयंसेवक हैं जो न तो राज्य के कर्मचारी हैं और न ही नियमित वेतनमान के हकदार हैं और इसलिए उनकी सेवाओं के नियमितीकरण का सवाल ही नहीं उठता।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से दलील को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीशों ने स्वीकार कर लिया, जिन्होंने राज्य को चतुर्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों को सेवा मानक के अनुसार समान वेतन, भत्ते और अन्य लाभ देने का निर्देश दिया। जिसके विरुद्ध राज्य द्वारा खण्डपीठ के समक्ष अपील की गई। आक्षेपित निर्णय और आदेशों द्वारा उच्च न्यायालय ने होम गार्ड्स द्वारा दायर उक्त अपीलों और नई रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया। 31 जनवरी, 2008 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि होम गार्ड के सदस्य स्वयंसेवक हैं। हालाँकि, होम गार्ड के सदस्यों द्वारा उजागर किए गए कष्टों और दुखों को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने कहा:

"हालांकि, हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि विधायिका के साथ-साथ कार्यकारी अधिकारियों को इस मुद्दे पर फिर से विचार करना चाहिए कि वे होम गार्ड के सदस्यों के कल्याण के लिए संविधान के ढांचे के भीतर सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। उन्होंने कुछ लाभ दिए हैं जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस न्यायालय की इच्छा के सम्मान में। हमें आशा और विश्वास है कि भविष्य में वे कुछ और देने का प्रयास करेंगे। हालाँकि, हम उस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते। विधायिका के लिए इस विषय पर कानून को फिर से लागू करना खुला रहेगा। 1962 के उक्त अधिनियम, जैसा कि आज तक संशोधित है, के दायरे में अनुमति होने पर अतिरिक्त लाभ देने के लिए

अधिकारियों के लिए खुला होगा। हम, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि हमारी इच्छा को सदस्यों के पक्ष में अर्जित किसी विशेष अधिकार के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। राज्य से किसी भी अन्य लाभ का अधिकार के रूप में दावा करने के लिए होम गार्ड का अधिकार। राज्य कानून के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा करते समय उन्हें ऊपर बताए अनुसार हमारे द्वारा उजागर किए गए होम गार्ड के सदस्यों की दुर्दशा को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे द्वारा यहां पहले की गई टिप्पणियों के आलोक में उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।"

6. यह सूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेशों के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य ने ड्यूटी भत्ता बढ़ा दिया है जो प्रतिदिन 300 रुपये से अधिक है।

7. अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्कों का सार इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) पश्चिम बंगाल होम गार्ड अधिनियम, 1962 (बाद में '1962 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और पश्चिम बंगाल होम गार्ड नियम, 1962 (इसके बाद '1962 नियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि राज्य के अधीन होम गार्ड नामक एक संगठित सेवा है और होम गार्ड और राज्य सरकार के बीच मालिक और नौकर का संबंध मौजूद है। राज्य सरकार होम गार्डों द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर पूरी निगरानी और नियंत्रण रखती है और निर्देश देती है कि क्या काम करना है और किस तरीके से करना है। होम गार्ड मालिक और नौकर के रिश्ते को निर्धारित करने के लिए बलवंत राय सलूजा बनाम एयर इंडिया लिमिटेड (2014) 9 एससीसी 407 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करते हैं:

(i) कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है;

(ii) वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान कौन करता है;

(iii) जिसके पास बर्खास्त करने का अधिकार है;

(iv) अनुशासनात्मक कार्यवाही कौन कर सकता है;

(v) क्या सेवा में निरंतरता है; और

(vi) नियंत्रण और पर्यवेक्षण की सीमा अर्थात क्या पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण मौजूद है।

(ii) राज्य सरकार होम गार्ड के लिए वेतनमान निर्धारित करने में विफल रही जो सेवा की आवश्यक शर्तों में से एक है। 1962 के नियमों में केवल यह कहा गया था कि सेवा स्वैच्छिक और अवैतनिक होगी, जो कि अधिनियम का इरादा कभी नहीं था। अधिनियम का उद्देश्य कभी भी होम गार्ड की स्वैच्छिक सेवा बनाना नहीं था।

(iii) 1962 के नियमों का नियम 4 अधिनियम के दायरे से बाहर है क्योंकि अधिनियम में कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया गया कि सेवा स्वैच्छिक और अवैतनिक होगी। नियम 4 भी असंवैधानिक है, मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है और यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम के समान है।

(iv) अपीलकर्ताओं को उक्त अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्हें अधिनियम के तहत होम गार्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है और ड्यूटी पर रहते हुए उनके पास पुलिस अधिनियम (अधिनियम V) 1861 के तहत नियुक्त पुलिस अधिकारियों के समान शक्तियां, कार्य और विशेषाधिकार होंगे। नियुक्ति पत्र यह न बताएं कि अपीलकर्ताओं को स्वयंसेवकों के रूप

में नियुक्त किया गया था। यहां तक कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले में दिए गए निष्कर्ष के अनुसार, "हालांकि यह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक स्वीकृत तथ्य है कि वे 60 वर्ष की आयु तक निरंतर आधार पर लगे रहते हैं और फिर अपने अग्रिम चरण के कारण अलग हो जाते हैं।" इस प्रकार यह तर्क देना गलत है कि अपीलकर्ताओं को स्वयंसेवकों के रूप में नियुक्त किया गया था, न कि होम गार्ड के सदस्यों के रूप में।

(v) पश्चिम बंगाल होम गार्ड्स (संशोधन) अधिनियम, 1990 पश्चिम बंगाल विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था जिसके तहत "सदस्य" शब्द को "स्वयंसेवक" शब्द से प्रतिस्थापित किया गया था। हालाँकि, यह अधिनियम पूर्वव्यापी नहीं है और 1 अक्टूबर, 1989 को लागू हुआ। यह ध्यान रखना उचित है कि सभी अपीलकर्ताओं को 1966 और 1974 के बीच, यानी संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था। इस प्रकार संशोधन अधिनियम ने अपीलकर्ताओं की स्थिति को होम गार्ड के "सदस्य" से लेकर होम गार्ड के "स्वयंसेवक" तक नहीं बदला है।

(vi) होम गार्डों को शुरू में प्रतिदिन 2.50 रुपये का भुगतान किया जाता था जिसे बढ़ाकर 24.71 रुपये, फिर 53 रुपये, फिर 117 रुपये और अंत में 328 रुपये किया गया जो वर्तमान में भुगतान किया जा रहा है। विधिवत प्रशिक्षण पाने वालों को प्रतिदिन 328 रुपये का भुगतान बहुत कम है और राज्य सरकार के न्यूनतम वेतनमान से बहुत कम है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन का भुगतान संविधान के अनुच्छेद 23 के अर्थ में जबरन श्रम के समान है। इस प्रकार अपीलकर्ता अपनी नियुक्ति की तारीख से नियमित वेतनमान पाने के हकदार हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य का रुख

8. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील के अनुसार, होम गार्ड के सदस्यों के लिए किसी स्वीकृत पद के अभाव में, अपीलकर्ता राज्य के कर्मचारी होने का दावा नहीं कर सकते। अधिनियम और नियमों में प्रयुक्त शब्द "नियुक्ति" का अर्थ होम गार्ड में सदस्यों का नामांकन है। निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ भी की गईं:

अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि धारा 5 के तहत सीधे पुलिस बल की सहायता के लिए बुलाए गए होम गार्ड के सदस्य ऐसे बल के अधिकारियों के नियंत्रण में होंगे, जैसा कि धारा 9 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जब भी होम गार्ड के किसी भी सदस्य को बुलाया जाएगा तो वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। 'कॉल आउट' अभिव्यक्ति से स्पष्ट है कि उनकी सेवाएं केवल तभी बुलाई जाती हैं जब परिस्थितियों के अनुसार उनकी आवश्यकता होती है और इस प्रकार वे स्थायी कर्मचारी की तरह कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं।

नियम 4 में प्रावधान है कि होम गार्ड में सेवा सामान्यतः स्वैच्छिक होगी। अधिनियम के उद्देश्यों/कारणों और प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का स्पष्ट अध्ययन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि होम गार्ड के सदस्यों की सेवाएं स्वैच्छिक हैं।

अन्य राज्यों की तरह, पश्चिम बंगाल में भी होम गार्ड के सदस्य स्वैच्छिक सेवा के लिए हैं और वास्तव में उन्होंने दशकों से उपरोक्त पद को एक साथ स्वीकार किया है और अब सदस्य के रूप में उनके नामांकन के लगभग अंत में, वे यह मांग नहीं कर सकते हैं कि वे थे। वह मूल पद पर नियुक्त होने का हकदार है और कोई भी वेतनमान पाने का हकदार है।

सदस्य के रूप में नामांकन के दौरान उन्हें कर्तव्य भत्ते मिलते रहे, जो समय-समय पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आदेश द्वारा निर्धारित होते थे। इसके अलावा हलफनामे में अपीलकर्ताओं ने "ड्यूटी भत्ता" के बजाय "दैनिक वेतन" अभिव्यक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। अधिनियम की धारा 9 राज्य सरकार को सेवा की शर्तों और भत्तों सहित विभिन्न क्षेत्रों में नियम बनाने का अधिकार देती है। लेकिन इसके तहत बने नियमों में भी कोई वेतन निर्धारित नहीं किया गया है. लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें समय-समय पर निर्धारित शुल्क भत्ता दिया जाता रहा है। चूंकि अधिनियम और नियमों में कोई वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए कोई वेतनमान देने का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही उठता है। लेकिन पूरे समय उन्हें ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाता था। यह नहीं कहा जा सकता कि होम गार्ड के सदस्यों को बंधुआ मजदूर के रूप में माना जाता था क्योंकि न तो उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और न ही उन्हें अवैतनिक भुगतान किया जाता था। उन्हें एक बड़ी राशि का भुगतान किया जाता था जिसे ड्यूटी भत्ता कहा जाता है।

1990 के संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह स्पष्ट होगा कि 1962 के अधिनियम में "सदस्यों के रूप में नियुक्ति" शब्द के उपयोग के कारण होम गार्ड संगठन और उसके सदस्यों का स्वैच्छिक चरित्र भी स्पष्ट नहीं था। ,और इसने भ्रम और स्थायी स्थिति के दावों को जन्म दिया। 1990 में संशोधन अधिनियम लाया गया ताकि होम गार्ड संगठन के स्वैच्छिक चरित्र को स्पष्ट किया जा सके और स्वयंसेवकों को मानद और स्वैच्छिक क्षमता में नामांकित किया जा सके। "स्वैच्छिक" अभिव्यक्ति का प्रयोग 1960 के नियमों में ही किया गया था। यदि 1962 अधिनियम, 1990 अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों और अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए, तो यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि होम गार्ड के सदस्यों की स्थिति स्वैच्छिक है और केवल तभी जब उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए

कहा जाता है। कर्तव्य वे अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसके अलावा वे कर्तव्य भत्ते के अलावा कोई वेतन या कोई अन्य लाभ पाने के हकदार नहीं हैं, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर तय कर सकती है।

भारतीय संघ का रुख

9. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अटॉर्नी जनरल ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं: होम गार्ड की अवधारणा हमेशा स्वैच्छिक रही है। इस अवधारणा की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। भारत में इसकी कल्पना पहली बार 1946 में एक बल के रूप में की गई थी। बॉम्बे होम गार्ड अधिनियम, 1947 स्पष्ट रूप से ऐसे पहले कुछ राज्य अधिनियमों में से एक था। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि यह "आपातकालीन स्थितियों में उपयोग के लिए एक स्वयंसेवी संगठन है..." धारा 3 होम गार्ड की नियुक्ति का प्रावधान करती है, "जो फिट हैं और सेवा करने के इच्छुक हैं..." बॉम्बे होम का नियम 8 गार्ड नियम, 1953 में प्रावधान है कि होम गार्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

उक्त अधिनियम में निम्नलिखित विशेषताएं ध्यान देने योग्य हैं।

(i) कोई वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन आदि नहीं है।

(ii) कोई नियमित कैडर नहीं है।

(iii) होम गार्ड का कार्यकाल केवल 3 वर्ष का होता है।

(iv) "योग्य और सेवा करने के इच्छुक" व्यक्तियों को आना है

होम गार्ड के रूप में शामिल होने के लिए आगे बढ़ें।

(v) यह एक स्वयंसेवी संगठन है।

(vi) भर्ती की कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं।

इस अधिनियम को दिल्ली तक विस्तारित किया गया है:

लगभग सभी राज्य अधिनियमों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलेगा कि संगठन हमेशा स्वैच्छिक था और इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल थे। वास्तव में सरकारी कर्मचारियों को भी जरूरत पड़ने पर बुलाए जाने के लिए होम गार्ड में नामांकित किया गया था। हालाँकि, ऐसे व्यक्तियों को अपनी सेवा देने के लिए नियोक्ता की अनापत्ति के साथ अपने नियोक्ता के माध्यम से अपना आवेदन भेजना था। वास्तव में किसी नियोक्ता के इनकार या रुकावट के दंडात्मक परिणाम होते हैं। जिस अवधि में इन नामांकित व्यक्तियों को होम गार्ड ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, उस अवधि के लिए उनकी सेवा जारी मानी गई और वेतन का भुगतान किया जाना था। इससे पता चलता है कि होम गार्ड एक अलग पूर्णकालिक रोजगार नहीं है बल्कि इसका उपयोग विशिष्ट अवसरों के लिए किया जाता था। यह महसूस करते हुए कि 1962 के अधिनियम में "स्वयंसेवक" या "नामांकन" शब्द का उपयोग नहीं किया गया था और चूंकि मुकदमों की भरमार थी, इसलिए अधिनियम में 1990 में संशोधन किया गया था। 18 अप्रैल, 1990 का उद्देश्य और कारणों का विवरण महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि यह अधिनियम 1962 में बाहरी आक्रमण के मद्देनजर पारित किया गया था।इसमें कहा गया है कि 1962 के अधिनियम में स्वैच्छिक चरित्र भी स्पष्ट नहीं था और इसने भ्रम और स्थायी स्थिति के दावों को जन्म दिया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि होम गार्ड का चरित्र स्वैच्छिक होगा जहां स्वयंसेवकों को मानद और स्वैच्छिक क्षमता में नामांकित किया जाएगा। इस प्रकार जो अंतर्निहित था वह स्पष्ट हो गया। 1962 का अधिनियम अन्य राज्य अधिनियमों के 15 से अधिक वर्षों के बाद बनाया गया था। राज्य की विधायिका को देश के विभिन्न हिस्सों में एक ही मुद्दे से निपटने वाले विधायिकाओं के बारे में पता होगा और उन्होंने तदनुसार इसे तैयार किया था। संशोधन

के द्वारा सेवा के स्वैच्छिक स्वरूप एवं स्वैच्छिक संगठन की अवधारणा को स्पष्ट किया गया।

इस प्रकार संशोधन पूरी तरह से स्पष्ट है। इसने वह स्पष्ट कर दिया जो पहले निहित था। स्पष्टीकरण संशोधन पूर्वव्यापी प्रकृति के होंगे क्योंकि अधिनियम का इरादा शुरुआत से ही सही माना जाएगा। अतः स्वैच्छिक एवं नामांकन शब्द सदैव विद्यमान माने जायेंगे।

10. मुद्दे के निर्धारण के लिए, होम गार्ड संगठन की 'उत्पत्ति' और होम गार्ड संगठन के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियमों और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है।

11. उत्पत्ति

नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होम गार्ड के निर्देशों के सार-संग्रह में, होम गार्ड संगठन की उत्पत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

"1.1. उत्पत्ति

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यूनाइटेड किंगडम में स्थानीय रक्षा के लिए एक स्वैच्छिक नागरिक संगठन 'होम गार्ड्स' की स्थापना की गई थी। भारत में, 6 दिसंबर 1946 को, नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता के लिए बॉम्बे में होम गार्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और बाढ़, आग, अकाल आदि जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस के सहायक के रूप में एक स्वैच्छिक नागरिक बल की इस अवधारणा को कई अन्य राज्यों जैसे परांति रक्षा दल, पश्चिम बंगाल ग्राम ब्लॉक और सिविक गार्ड्स द्वारा अपनाया गया था। 1962 में चीनी आक्रमण के मद्देनजर, केंद्र ने राज्यों और

केंद्र शासित प्रदेशों को अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को एक अखिल भारतीय बल में विलय करने की सलाह दी, जिसे 'होम गार्ड' के नाम से जाना जाता है, जो अवधारणा और चरित्र दोनों में स्वैच्छिक होगा।

1.2. भूमिका

निम्नलिखित संशोधित भूमिकाएँ होम गार्ड को सौंपी गई हैं। ये निर्देश समय-समय पर दोहराए गए हैं:

(ए) पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करना और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सहायता करना।

(बी) किसी भी प्रकार के आपातकालीन हवाई हमले, आग, बाढ़, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करें।

(सी) मोटर परिवहन, अग्रणी और इंजीनियर समूह, फायर ब्रिगेड, नर्सिंग और प्राथमिक चिकित्सा, प्रतिष्ठानों में पानी और बिजली की आपूर्ति का संचालन आदि जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यात्मक इकाइयां व्यवस्थित करें।

(डी) सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा में प्रशासन को सहायता देना।

(ई) सामाजिक-आर्थिक और कल्याणकारी गतिविधियों जैसे वयस्क शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, विकास योजनाओं और ऐसे अन्य कार्यों में भाग लेना जो उपयोगी समझे जाएं।"

पश्चिम बंगाल होम गार्ड अधिनियम, 1962

12. प्रारंभ में, पश्चिम बंगाल होम गार्ड्स अध्यादेश, 1962 (1962 का पश्चिम बंगाल अध्यादेश XI) प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश की धारा 9 के तहत

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार, गृह विभाग, पुलिस ने अधिसूचना संख्या 4583 पी 1 दिनांक 13 नवंबर, 1962 द्वारा "पश्चिम बंगाल होम गार्ड नियम, 1962" तैयार किया।

बाद में अध्यादेश को एक अधिनियम बना दिया गया जिसे "पश्चिम बंगाल होम गार्ड अधिनियम, 1962" के रूप में जाना जाता है। 14 नवंबर, 1962 के कलकत्ता गजट असाधारण (भाग IVA) में दिखाए गए उद्देश्यों और कारणों के विवरण से, हम पाते हैं कि होम गार्ड संगठन का गठन किया गया था। चीनी आक्रामकता के बाद। वस्तुओं और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

"वस्तुओं और कारणों का विवरण

बाहरी आक्रमण के खिलाफ देश की रक्षा के संबंध में होम गार्ड का एक संगठन बनाना आवश्यक पाया गया है, जिसके सदस्यों को व्यक्तियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा और ऐसे अन्य संबद्ध कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार उन्हें सौंपा गया: तदनुसार, पश्चिम बंगाल होमगार्ड अध्यादेश, 1962, संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के तहत राज्यपाल द्वारा बनाया और प्रख्यापित किया गया था। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य उक्त अध्यादेश के प्रावधानों को अधिनियमित करना है। विधेयक के खंड स्व-व्याख्यात्मक हैं।"

होमगाड्र्स के गठन से संबंधित अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार है:

"3. होम गार्ड का गठन। जिले में पुलिस अधीक्षक या कलकत्ता में पुलिस आयुक्त, जैसा भी मामला हो, जिले या कलकत्ता के लिए होम गार्ड कहलाने वाली एक संस्था का गठन कर सकते हैं, जिसके सदस्य ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे। व्यक्तियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में जो उन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सौंपा जा सकता है।"

अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, पुलिस अधीक्षक किसी भी समय। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए या होम गार्ड को सौंपे गए किसी भी कार्य का निर्वहन करने के लिए एक होम गार्ड को बुलाना।

वर्ष 1990 में अधिसूचना संख्या 1189-1 दिनांक 30 जुलाई, 1990 द्वारा, पश्चिम बंगाल होम गार्ड (संशोधन) अधिनियम, 1990 को अधिसूचित किया गया था। इसे 1 अक्टूबर, 1989 से प्रभावी किया गया था। उक्त संशोधन द्वारा धारा 3 में 'निकाय' के स्थान पर 'स्वयंसेवकों का एक निकाय' प्रतिस्थापित किया गया था। इसी प्रकार, संशोधन अधिनियम की धारा 7 द्वारा धारा 6 में 'सदस्य' शब्द प्रतिस्थापित किया गया था। 'स्वयंसेवक' शब्द. संशोधन अधिनियम की धारा 8 द्वारा धारा 7 में 'सदस्य' शब्द को 'स्वयंसेवक' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया। संशोधन अधिनियम की धारा 9 द्वारा धारा 8 में 'सदस्य' शब्द को 'स्वयंसेवक' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया और इसके स्थान पर 'स्वयंसेवक' शब्द रखा गया। 'होम गार्ड के सदस्य के रूप में' शब्द 'ऐसे स्वयंसेवक के रूप में' प्रतिस्थापित किए गए। संशोधन अधिनियम की धारा 10 द्वारा, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 2 के खंड (बी) में 'नामांकन' शब्द प्रतिस्थापित किया गया 'नियुक्ति' शब्द के स्थान पर और 'सदस्य' शब्द के स्थान पर 'स्वयंसेवक' शब्द प्रतिस्थापित किया गया। धारा 9 के विभिन्न खंडों में समान प्रतिस्थापन किए गए।

पश्चिम बंगाल होम गार्ड नियम, 1962

13. नियम 3 नियुक्ति से संबंधित है और इस प्रकार है:

"3. नियुक्ति (i) होम गार्ड के सदस्यों के रूप में नामांकन के लिए आवेदन इन नियमों की अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में होगा और उस क्षेत्र के समूह कमांडर को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके भीतर आवेदक रहता है। समूह कमांडर साक्षात्कार करेगा

उम्मीदवार और अपनी सिफारिशों के साथ आवेदन को होम गार्ड कमांडेंट के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा

प्राधिकारी, अपने विवेक से, नियुक्ति के लिए किसी विशेष सिफारिश को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है। सभी रंगरूटों को परेड में उचित समारोह के साथ औपचारिक रूप से नामांकित किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे नामांकन से पहले, यदि कोई रंगरूट सेवा में है, तो उसे अपने नियोक्ता से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण और ड्यूटी के लिए उसकी सेवाओं को छोड़ने के लिए सहमत हो।

जैसा कि उद्धृत किया गया है, नियम 4 सेवा की शर्तों से संबंधित है

नीचे:

"4. सेवा की शर्तें - अधिकारियों के किसी भी वर्ग के मामले में राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित किए जाने के अलावा, होम गार्ड में सेवा आमतौर पर स्वैच्छिक और अवैतनिक होगी।

बशर्ते कि राज्य सरकार ड्यूटी पर बुलाए जाने पर होम गार्ड के सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते का निर्धारण कर सकती है।

नियम 7 कर्तव्यों से इस प्रकार संबंधित है:

"7.ड्यूटी-होम गार्ड के सदस्यों को ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।

(i) अपराध और अव्यवस्था की ताकतों के खिलाफ नागरिक आबादी की सुरक्षा में पुलिस बल की सहायता करना;

(ii) नागरिक सुरक्षा संगठन के साथ निकट संपर्क में काम करना;

(iii) व्यक्तियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार, समय-समय पर, नियम द्वारा उन्हें सौंपे।

नियम 8 होम गार्डों को बुलाने के आदेश से संबंधित है और इस प्रकार है:

"8. होम गार्ड को बुलाने का आदेश - एक होम गार्ड को पूरी तरह से या उसके ऐसे हिस्से में, जैसा भी मामला हो, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, उचित समझे, किसी विशेष अवसर पर और ऐसे लिए बुलाया जा सकता है एक लिखित आदेश का उद्देश्य किसी जिले में पुलिस अधीक्षक द्वारा और कलकत्ता में पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा।"

14. उपरोक्त नियमों को पढ़ने से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:

(i) पश्चिम बंगाल होम गार्ड को नियमों की अनुसूची ए में निर्धारित फॉर्म में होम गार्ड के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है।

(ii) होम गार्ड आमतौर पर स्वयंसेवक होंगे और अवैतनिक होंगे लेकिन राज्य सरकार ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर होम गार्ड के सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्ते का निर्धारण कर सकती है।

(iii)होम गार्ड के सदस्यों के लिए कोई निश्चित कर्तव्य नहीं है। जब उन्हें ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा, तो वे अपराध और अव्यवस्था की ताकतों के खिलाफ नागरिक आबादी की सुरक्षा में पुलिस बल की सहायता करेंगे। उन्हें नागरिक सुरक्षा संगठन के साथ निकट संपर्क में काम करना होगा और व्यक्तियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करना होगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित कर सकती है। इसलिए, यदि 1962 अधिनियम को 1962 के नियमों के साथ पढ़ने पर हम पाते हैं कि होम गार्ड के सदस्य आम तौर पर

अवैतनिक स्वयंसेवक होते हैं जिनके लिए राज्य सरकार ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर वेतन और भत्ते का निर्धारण करेगी।

15. होम गार्ड संगठन का स्वैच्छिक चरित्र 1962 के अधिनियम में "सदस्यों के रूप में नियुक्ति" शब्द के उपयोग के कारण स्पष्ट नहीं था, हालांकि यह 1962 के नियमों से स्पष्ट था जैसा कि ऊपर देखा गया है, उपरोक्त कारणों से, राज्य सरकार ने संशोधन अधिनियम, 1990 जारी किया

16. संशोधित 1990 अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

"वस्तुओं और कारणों का विवरण

1962 में भारत पर बाहरी आक्रमण के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में होम गार्ड संगठन बनाया गया था और उसी वर्ष पश्चिम बंगाल होम गार्ड अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम पारित होने के बाद से संगठन के कामकाज में कई बदलाव हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम पुराना हो गया है। 1962 के अधिनियम में कमांडेंट जनरल, होम गाड्र्स, पश्चिम बंगाल के पद का कोई संदर्भ नहीं है, जो वर्तमान अधिनियम के लागू होने के लंबे समय बाद बनाया गया था। हालाँकि कमांडेंट जनरल, होम गाड्र्स, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल के जिलों में होम गाड्र्स संगठन की कमान और नियंत्रण और होम गाड्र्स बजट का प्रबंधन करने का काम दिया गया है, लेकिन कानूनी तौर पर वह कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं।पुलिस अधीक्षक अथवा जिले के होम गार्ड अनुभाग में पदस्थापित अन्य पुलिस अधिकारियों को। इसलिए होम गार्ड संगठन में कमांड की एक श्रृंखला का अभाव है।

होम गार्ड संगठन और उसके स्वैच्छिक सदस्यों का स्वैच्छिक चरित्र "सदस्यों के रूप में नियुक्ति" शब्द के उपयोग के कारण 1962 के अधिनियम में भी स्पष्ट नहीं था, और इसने भ्रम और स्थायी राज्यों के दावों को जन्म दिया।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम बंगाल होम गार्ड अधिनियम, 1962 में वर्तमान संशोधन पश्चिम बंगाल के जिलों में होम गार्ड संगठन पर कमांडेंट जनरल, होम गार्ड, पश्चिम बंगाल का नियंत्रण स्थापित करने और पदेन क्षमता को परिभाषित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है। कलकत्ता में पुलिस आयुक्त के अतिरिक्त कमांडेंट जनरल, होम गार्ड और होम गार्ड संगठन के स्वैच्छिक, चरित्र को स्पष्ट करना जहां स्वयंसेवकों को मानद और स्वैच्छिक क्षमता में नामांकित किया जाता है।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधेयक तैयार किया गया है।" जिससे स्वैच्छिक होम गार्ड संगठन बनाने की विधानमंडल की मंशा स्पष्ट हो जाती है।

17. राजेश मिश्रा बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार, 98 (2002) डीएलटी 624 में, उच्च न्यायालय ने एसबी सिन्हा के माध्यम से बोलते हुए कहा कि होम गार्ड एक स्वैच्छिक संगठन है और सरकार और होम गार्ड के बीच कोई मास्टर-सेवक संबंध नहीं है। यह माना गया कि वे सिविल सेवक नहीं हैं और वे प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं जा सकते।

18. मणिपुर राज्य और अन्य बनाम क्ष मोइरांगनिंथौ सिंह और अन्य, (2007) 10 एससीसी 544 में, इस न्यायालय ने होम गार्ड के सदस्यों की सेवा की स्वैच्छिक प्रकृति को दोहराया और कहा:

"8. यह ध्यान दिया जा सकता है कि होम गार्ड को आपात स्थिति में सेवा के लिए एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में गठित किया गया है और इसलिए इसे सेना,

अर्धसैनिक संगठनों या नागरिक पुलिस जैसे अन्य संगठनों के बराबर नहीं माना जा सकता है।

11. होम गार्ड अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि होम गार्ड एक आरक्षित बल था जिसका उपयोग आपात स्थिति में किया जाना था, लेकिन यह पुलिस, अर्धसैनिक बल या सेना जैसी सेवा नहीं थी। और किसी सदस्य को 55 वर्ष की आयु तक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम राजेश मिश्रा बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का अनुमोदन करते हैं।

13. होम गार्ड की अवधारणा कानून और व्यवस्था बनाए रखने और बाढ़, आग, अकाल आदि जैसी आपात स्थितियों से निपटने और नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस के सहायक के रूप में एक स्वैच्छिक नागरिक बल की थी।

19. होम गार्ड की उत्पत्ति और इसकी भूमिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पता चलेगा कि संगठन हमेशा स्वैच्छिक था और इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल थे। वास्तव में सरकारी कर्मचारियों को भी जरूरत पड़ने पर बुलाए जाने के लिए होम गार्ड में नामांकित किया गया था। बड़ी संख्या में राज्य अधिनियम अर्थात् आंध्र प्रदेश होम गार्ड अधिनियम, 1948, बॉम्बे होम गार्ड अधिनियम, 1947, असम होम गार्ड अधिनियम, 1947, मणिपुर होम गार्ड अधिनियम, 1966, मध्य प्रदेश होम गार्ड अधिनियम, 1947, पंजाब होम गार्ड अधिनियम, 1947, राजस्थान होम गार्ड अधिनियम , 1963 आदि को सुनवाई के दौरान विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा संकलित करके इस न्यायालय के समक्ष रखा गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन सभी अधिनियमों के प्रावधान कमोबेश समान हैं। स्वैच्छिक प्रकृति होम गार्ड की एक बुनियादी विशेषता है।

20. अधिकांश अपीलकर्ताओं ने अधिकतम आयु प्राप्त कर ली है और वे अब होम गार्ड के सदस्य नहीं हैं। अपीलकर्ताओं की शेष श्रेणी द्वारा संलग्न नियुक्ति पत्रों से यह नहीं पता चलता है कि वे किसी भी सरकारी कर्मचारी की तरह पूरे वर्ष ड्यूटी कर रहे हैं। मालिक-नौकर संबंध का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। उन्हें होम गार्ड नियम, 1962 के अनुसार नियुक्त किया गया था और यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी सेवाएं स्वैच्छिक हैं और उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता मिलेगा।

मामले को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता सेवा के नियमितीकरण के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, जवाबदेही और स्थिति की तुलना के अभाव में, पुलिस कर्मियों को प्रदान किए गए वेतन या वेतनमान के साथ समानता का दावा करने के लिए उन्हें पुलिस कांस्टेबलों या कर्मियों के बराबर नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेशों द्वारा उचित रूप से अनुदान देने से इनकार कर दिया उनकी सेवाओं का नियमितीकरण. हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

निधि जैन याचिकाये खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।